

सार्वजनिक सूचना

सभी जन साधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम 2008 के अन्तर्गत नगरपालिका, धारुहेडा के प्रत्येक वार्ड में वार्ड कमेटी का गठन किया जाना है। उपरोक्त अधिनियम के तहत नगरपालिका, धारुहेडा द्वारा प्रत्येक वार्ड से वार्ड कमेटी में 03 से 07 आमजन को बतौर सदस्य मय महिला सहित सम्मिलित किया जाना है। अतः प्रत्येक वार्ड के व्यक्ति/आमजन से अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति/आमजन अपने-2 वार्ड से हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम 2008 के अन्तर्गत वार्ड कमेटी का सदस्य बनना चाहता है। वह दिनांक 17.07.2026 को शाम 5:00 बजे तक नगरपालिका, धारुहेडा कार्यालय के कमरा न0-07 में अपना आवेदन/नोमिनेशन फार्म प्रस्तुत कर सकता है। हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम 2008 से सम्बन्धित जानकारी व वार्ड कमेटी सदस्यत हेतु नोमिनेशन फार्म नगरपालिका, धारुहेडा की वेब साईट <https://ulbharyana.gov.in/Dharuhera/840> पर प्रकाशित कर दी गई है एवं इच्छुक आमजन नोमिनेशन फार्म नगरपालिका, धारुहेडा कार्यालय व वेब साईट <https://ulbharyana.gov.in/Dharuhera/840> से प्राप्त कर सकते हैं।

—हस्ता—
सचिव
नगरपालिका, धारुहेडा।